

राजस्थान सरकार
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर,
नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़ राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :-श्री महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)

वाद संख्या
305/2022

रजू दिनांक
25.07.2022

निर्णय दिनांक
02.12.2024

उनवान

1. अश्वनी कुमार कोहली पुत्र श्री गुरदासमल कोहली जाति पंजाबी निवासी सी
8/9 डीएलएफ फेज प्रथम गुरुग्राम हरियाणा

..... वादी

बनाम

1. रामविजय पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
2. राजकुमार पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
3. लाजवन्ती पुत्री श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
4. उर्मिला पुत्री श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
5. रामप्रताप पुत्र श्री राधाकिशन जाति अहीर,
6. शेरसिंह पुत्र श्री राधाकिशन जाति अहीर,
7. रामनिवास पुत्र श्री रामकुमार जाति अहीर,

निवासीयान समस्त ग्राम मोहनपुर तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा

8. गिरवरसिंह पुत्र श्री श्योनाथ सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकर तहसील
नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान-मृतक


8/1. दलजीतसिंह पुत्र स्व. श्री गिरवरसिंह जाति राजपुत,

8/2. कृष्णा पुत्री स्व. श्री गिरवरसिंह जाति राजपुत,

8/3. कमलेश पुत्री स्व. श्री गिरवरसिंह, जाति राजपुत,

निवासीयान ग्राम कांकर, तह. नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़,

राजस्थान


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

9. तहसीलदार नीमराना बहैसियत भू-अभिलेख अधिकारी एवं लैण्ड होल्डर
10. उप पंजीयक नीमराना, जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री सतीश कुमार यादव अधिवक्ता वादी

दावा बाबत इस्तकरारहक विभाजन एवं हुकम
इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,
53, 188, 209 राज0 काश्त. अधि.

—: निर्णय :-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित है। वादी द्वारा प्रस्तूत वादपत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं 1578 रकबा 18 ऐयर, 1579 रकबा 21 ऐयर 1580 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम कांकर तहसील नीमराना में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 5 लगायत 7 का 2/9 भाग प्रतिवादी सं0 8 का 1/9 भाग है। विवादित आराजी बाबत दिनांक 09.07.2024 को प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार नीमराना द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार विवादित आराजी के मौके पर तकसीम कर कुर्रेजात उपलब्ध करवाई गई है। जिस पर वादीगण के वकील की बहस सुनी गई। वादी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। तदानुसार दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :-

विवादित आराजी बाबत डिक्री तकसीम अराजी कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार से जारी की जाती है -


1. अश्वनी कुमार कोहली पुत्र श्री गुरदासमल कोहली जाति पंजाबी निवासी सी 8/9 डीएलएफ फेज प्रथम गुरुग्राम हरियाणा आराजी खसरा नम्बर हाल 1580


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

- रकबा 17 ऐयर सम्पूर्ण व 1579/1 रकबा 0.0166 हैक्टर तरफ पश्चिम कुल
किता 02 कुल रकबा 0.1866 हैक्टर का खातेदार रहेगा।
2. प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 1578 रकबा 18 ऐयर सम्पूर्ण व 1579/2
रकबा 0.1934 हैक्टर तरफ पूर्व कुल किता 02 कुल रकबा 0.3734 है0 के
मुताबिक हक व हिस्से के खातेदार रहेगे।

इसी कदर हाल भू-राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाने के
आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 02.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



॥ महेन्द्र सिंह यादव ॥

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कॉटपूतली बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर नीमराना
जिला कोटपूतली बहरोड़
राजस्थान

राजस्थान सरकार
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर,
नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़ राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :-श्री महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)

वाद संख्या
305/2022

रजू दिनांक
25.07.2022

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
02.12.2024

उनवान


1. अश्वनी कुमार कोहली पुत्र श्री गुरदासमल कोहली जाति पंजाबी निवासी सी
8/9 डीएलएफ फेज प्रथम गुरुग्राम हरियाणा

..... वादी

बनाम

1. रामविजय पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
2. राजकुमार पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
3. लाजवन्ती पुत्री श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
4. उर्मिला पुत्री श्री रणजीतसिंह जाति अहीर,
5. रामप्रताप पुत्र श्री राधाकिशन जाति अहीर,
6. शेरसिंह पुत्र श्री राधाकिशन जाति अहीर,
7. रामनिवास पुत्र श्री रामकुमार जाति अहीर,
निवासीयान समस्त ग्राम मोहनपुर तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा
8. गिरवरसिंह पुत्र श्री श्योनाथ सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकर तहसील
नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान-मृतक
8/1. दलजीतसिंह पुत्र स्व. श्री गिरवरसिंह जाति राजपुत,
8/2. कृष्णा पुत्री स्व. श्री गिरवरसिंह जाति राजपुत,
8/3. कमलेश पुत्री स्व. श्री गिरवरसिंह, जाति राजपुत,
निवासीयान ग्राम कांकर, तह. नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान
9. तहसीलदार नीमराना बहैसियत भू-अभिलेख अधिकारी एवं लैण्ड होल्डर
10. उप पंजीयक नीमराना, जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान

.....प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

उपस्थित:-


1. श्री सतीश कुमार यादव अधिवक्ता वादी

दावा बाबत इस्तकरारहक विभाजन एवं हुकम
इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53,
188, 209 राज0 काश्त. अधि.

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित है। कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी अश्वनी कुमार कोहली पुत्र श्री गुरदासमल कोहली जाति पंजाबी निवासी सी 8/9 डीएलएफ फेज प्रथम गुरुग्राम हरियाणा को आराजी खसरा नम्बर हाल 1580 रकबा 17 ऐयर सम्पूर्ण व 1579/1 रकबा 0.0166 हैक्टर तरफ पश्चिम कुल किता 02 कुल रकबा 0.1866 हैक्टर वाके ग्राम कांकरं तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान का खातेदार रहेगा एवं आराजी खसरा नम्बर 1578 रकबा 18 ऐयर सम्पूर्ण व 1579/2 रकबा 0.1934 हैक्टर तरफ पूर्व कुल किता 02 कुल रकबा 0.3734 है0 वाके ग्राम कांकरं तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान के प्रतिवादीगण मुताबिक हक व हिस्से के खातेदार रहेगे तथा इसी कदर से हाल भू-राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 02.12.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।


॥ महेन्द्र सिंह यादव ॥
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलैक्टर नीमराना
जिला कोटपूतली बहरोड़
राजस्थान